ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(1): 163-166
www.allresearchjournal.com
Received: 18-05-2017
Accepted: 20-06-2017

डॉ. प्रभाकर मिश्र
अतिथि विद्वान अर्थशास्त्र,
शासकीय महाविद्यालय रामपुर
नैकिन जिला सीधी (म.प्र.), भारत

Correspondence
डॉ. प्रभाकर मिश्र
अतिथि विद्वान अर्थशास्त्र,
शासकीय महाविद्यालय रामपुर
नैकिन जिला सीधी (म.प्र.), भारत

सीधी जिले के कृषकों की समस्त वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता का अध्ययन

डॉ. प्रभाकर मिश्र

सारांश
व्यापारिक बैंको द्वारा कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने की अवहेलना की जाती थी। सन् 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि व्यापारिक बैंकों को ऋण व्यवस्था किसानों की ओर चलते–चलते धीमी पड़ जाती है। सन् 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने कृषि वित्त में व्यापारिक बैंकों के योगदान को नगण्य पाया था। इनके द्वारा कृषि वित्त के 0.9 प्रतिशत भाग की पूर्ति की गई थी। 1962 के अन्त में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण एवं सर्वेक्षण कमेटी ने ग्रामीण साख में व्यापारिक बैंकों के योगदान को 0.6 प्रतिशत व्यक्त किया। सन् 1968–69 में व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त व्यवस्था में 5.3 प्रतिशत का योगदान दिया गया था। सन् 1966–67 में नवीन कृषि रणनीति के प्रतिपादन के पश्चात 19 जुलाई 1969 में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे व्यापारिक बैंकों को कृषि वित्त प्रदान करने की ओर प्रोत्साहित किया जा सके। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का और राष्ट्रीकरण किया गया।

कुट शब्दः सीधी जिला, कृषक, वित्तीय संस्थान

प्रस्तावना
वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत 28 बैंक है तथा कुल बैकिंग व्यवसाय का 90 प्रतिशत भाग इन बैंकों द्वारा किया जाता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से कृषि वित्त के क्षेत्र में प्रगति की गई है। इनके द्वारा कृषकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के वित्तों का प्रबन्ध किया जाने लगा है।[1–2] इसके अतिरिक्त विपणन, संशोधन और भण्डारन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सन् 1969 और 1980 में प्रमुख व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात् व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्रामीण साख के सम्बन्ध में कृषि विकास को निम्नलिखित प्रकार योगदान दिया गया है–

ऋण प्राप्तकर्ताओं में वृद्धि
राष्ट्रीकरण के पश्चात् व्यापारिक बैंकों से कृषि क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। सन् 1969 में व्यापारिक बैंकों में 5.7 लाख ऋणकर्ताओं के खाते थे और उन पर 258 करोड़ रुपयें का कृषि ऋण दिया गया था जो 4577 रुपयें प्रति ऋणकर्ता था और जो बैंक के कुल ऋण का 7.1 प्रतिशत था। सन् 1985 में ऋणकर्ताओं के खातों की संख्या बढ़कर 15.2 लाख हो गयी और उन 8. 2 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण दिय गये जो कुल ऋण का 18.1 प्रतिशत था और 5386 रुपये प्रति ऋणकर्ता होता है।[3–8] इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय रकम की मात्रा में वृद्धि हुई है।

कमजोर वर्गो को वित्त की सुविधा
व्यापारिक बैंकों को ऋण नीति के अन्तर्गत यह निश्चित किया गया है कि कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान किया जाये।[9] कमजोर वर्गों के अन्तर्गत लघु और सीमान्त कृषक, कारीगर, ग्राम व कुटीर उद्योग, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को शामिल किया गया है।

कृषि क्षेत्र को प्राप्त वित्त में वृद्धि
व्यापारिक बैंक कृषि क्षेत्र को दो रूपों में सहायता प्रदान करता है।[9–10] पहला प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, दूसरा अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अन्तर्गत अल्पकालीन उत्पादन ऋण विकास के लिए मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण तथा सम्बन्धित कार्यो के लिए ऋण दिया गया है।

शाखा विस्तार

राष्ट्रीकरण के पश्चात् व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं के विस्तार में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रधानता दी गई है। सन् 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाओं का 22 प्रतिशत मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में था। 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों की 8262 शाखाएँ थी जिनमें 1832 शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र में थी। सन् 1985 में इनकी शाखाओं की संख्या 51385 हो गई और इनमें से 38177 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में थी। कुल शाखाओं का लगभग 68 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया है। सन् 1969 में 65 हजार जनसंख्या के पीछे एक बैंक था।[6–8] सन् 1985 के अन्त में 15 हजार जनसंख्या के पीछे एक बैंक था।

प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण

व्यापारिक बैंकों के ऋण नीति में भी राष्ट्रीयकरण के पश्चात् परिवर्तन हुआ। व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों को शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण (1969) से दस वर्षों में (1979) यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि कुल ऋणों में 33.3 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों को दिया जायें। इस लक्ष्य को बढ़ाकर बाद में 48 प्रतिशत कर दिया गया जिसे सन् 1985 तक प्राप्त करना था। इन लक्ष्यों के परिणामस्वरूप 1969 में व्यापारिक बैंकों द्वारा 659 करोड़ रुपये का ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया गया था जो 1985 में बढ़कर 19.2 हजार रुपये हो गया था। सन् 1969 में व्यापारिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में 18.2 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र को दिया गया था जो 1985 में बढ़कर 42.7 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार के ऋण व्यापारिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निबल ऋण का 1969 में केवल 3.1 प्रतिशत था जो 1985 में बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो गया। अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा समितियों को किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गया ऋण आता है।[5–7] व्यापारिक बैंकों द्वारा समितियों की उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के विवरण किसानों को दिया गया ऋण तथा गोदाम आदि निर्माण के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की प्रमुख भूमिका है। ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों के समान कृषि के क्षेत्र में भी समुचित विकास हो। कृषि सहकारी बैंक पद्धति का मूल आधार है। भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1912 में सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत हुई।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे समिति के अनुसार – "सहकारी साख ढांचे के केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति परम महत्व की है। वे राज्य सहकारी बैंक और आधार स्तरीय प्राथमिक कृषि समितियों के बीच महत्वपूर्ण सम्पर्क कड़ी के रूप में कार्य करते है।"

शोध का क्षेत्र

भारत के हृदय स्थल मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर में विन्ध्य उपाधिकाओं के बीच सीधी जिला स्थित है।[8] प्रारंभ में यह सिद्धी सम्प्रदाय के शासको द्वारा शासित रहा। सीधी प्राचीनकाल में शैव साधकों की शरणास्थली रहा। इस बात की पुष्टि चुरहट स्थित सन्यासियों की कोठी, यहाँ के पुरातत्व, वास्तुशिल्प एवं प्राचीन मंदिर इस मूर्तियों के द्वारा होती है।[11]

कालान्तर में यह क्षेत्र चौहानों के अधीनस्थ रहा, जो कुछ काल तक स्वतन्त्र एवं बाद में रीवा राज्य के बघेल शासकों के अधीन रहकर शासन करते रहे। 1 अप्रैल 1949 तक यह जिला बघेलखण्ड रियासत के अन्तर्गत था एवं रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात विंध्यप्रदेश के अन्तर्गत हो गया। 1 नवम्बर 1956 में राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, तो यह जिला मध्यप्रदेश के रीवा संभाग का एक जिला हो गया। यहाँ सोनभद्र नदी एवं बनास नदी के संगम स्थल पर भमरसेन के निकट चन्दरेह में प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिवमठ है जो उस समय का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का केन्द्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ लुरघुटी का किला, बढ़ौरा का शिव मन्दिर एवं कलचुरि का विश्राम गृह दर्शनीय है।

सीधी जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग $23^0 47'$ तक $24^0 42'$ तक उत्तरी अक्षांश और $81^0 18'$ से $82^0 40'$ तक पूर्वी देशान्तर में स्थित है। जिले की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 155 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 95 कि.मी. है। इसका कुल क्षेत्रफल 10532 वर्ग कि.मी. है।[8] जिले के पूर्व में सिंगरौली, दक्षिण–पश्चिम में शहडोल, सतना दक्षिण में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला तथा उत्तर में रीवा जिला स्थित है।

तापमान, वर्ष एवं जलवायु

सीधी जिले का अधिकतम तापमान मई जून से 45.46^0 से0 तथा न्यूनतम तापमान माह दिसम्बर–जनवरी में 5^0 से0ग्रे0 तक रहता है। जिले मे औसत वर्षा 950 मिलीमीटर से 1250 मि0मी0 तक होती है। जिले की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है।[8]

नदी, पहाड़ एवं मिट्टी

जिले की सबसे बड़ी नदी सोन है। बनास, गोपद एवं रिहन्द इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये समस्त नदिया सोन, बेसिन के अन्तर्गत आती हैं। जिले के मैदानी भागों की मिट्टी उपजाऊ है, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ तथा हल्के किस्म की है।

शोध के रूप में सीधी जिले को चुना है। सीधी जिला विभिन्न दृष्टिकोण से ग्रामीण भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहाँ की कृषि की समस्यायें सारे देश की वृहद समस्याओं को समझने के लिए एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य उपलब्ध करती है। सीधी जिले की कृषि वित्त की समस्या मूल रूप से सारे मध्यप्रदेश और भारतवर्ष की कृषि वित्त की स्थिति का आंकलन करने हेतु उपयुक्त आधार प्रस्तुत करता है।

आंकड़ों का संकलन

आंकड़ों का संकलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आंकड़े ही शोध प्रविधि की आधारशिला हैं। यदि संकलित आंकड़े, अशुद्ध अपर्याप्त होते है तो निकाले गये निष्कर्ष भ्रमात्मक होंगे। फलतः आंकड़ों के संकलन में सतर्कता एवं सावधानी बरतना अत्यन्त आवश्यक है।

आंकड़ों का संकलन मैंने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया है। आंकड़ों का संकलन करते समय पक्षपात की भावना को दूर रखने का हर सम्भव प्रयास किया है ताकि आंकड़े, प्रमाणिक, परिशुद्ध तथा विश्वसनीय रहें।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की स्थापना

इस निगम की स्थापना 1 जुलाई 1963 को की गई। तब इसका नाम कृषि पुनर्वित्त निगम था, जो नवम्बर 1975 में कृषि पुनर्वित्त अधिनियम में संशोधन कर सरकार ने इस निगम का नाम पुनर्वित्त एवं विकास निगम कर दिया।

नियोजित कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु भूमि बन्धक एवं विकास बैंकों को विकसित करने के प्रयास किये गये। इन प्रयासों के बावजूद इन बैंकों के पास वित्तीय साधनों का अभाव रहा और वे कृषि विकास

की बड़ी–बड़ी योजनाओं के लिए ऋण देने में असमर्थ थे। वास्तव में बेकार भूमि कृषि योग्य बनाने, सिंचाई की योजनाएँ कार्यान्वित करने तथा रोपड़ उद्योग को विकसित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन ऋण आवश्यक है। इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंकों द्वारा संभव नही है।[12–13] अतः इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की।

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि विकास की योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन व्यवस्था करना है। वास्तव में निगम उन कृषि विकास योजनाओं के लिए ऋण की व्यवस्था करता है जिन्हें अन्य वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण प्राप्त नही हो पाता। भूमि विकास बैंक भी अनेक वैधानिक कठिनाइयों के कारण उन योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण देने में असमर्थ रहते है। ऐसी स्थिति में यह निगम इन कार्यक्रमों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करके उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक होता है।

निगम भूमि को खेती योग्य बनाने, रोपड़, फसलों के विकास, यंत्रीकरण, कृषि तथा पशु सम्पत्ति की विकास योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। इन कार्यो को अतिरिक्त कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से सम्बन्धित अन्य परियोजनाओं के लिए भी ऋण देता है।

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त की सुविधाएँ ऐसी राज्य सरकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों को दी जाती है जो कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के अंशधारी हैं। इसके अतिरिक्त कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम कृषि विकास करने के योग्य संस्थाओं को भी पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) की स्थापना संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 12 जुलाई 1982 को की गई। जिसने 15 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। शीर्ष स्तर पर व्यापक संगठन की आवश्यकता का अनुभव कृषि विकास कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिए साख–संस्थाओं के सहयोग और उसका मार्ग दर्शन करने के लिए हुआ।[12–13]

कृषि विकास के लिए सविधि ऋण की पूर्ति के लिए बैंकों को कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त की सुविधायें प्रदान की जाती थी। यहाँ रिजर्व बैंक की एक सहायक संस्था थी। इस संस्था में सभी कार्य तथा रिजर्व बैंक के अन्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सभी कार्य नावार्ड को हस्तान्तरित ऋण दिये गये। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्प और दूसरे काम–धन्धों को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने, योजना बनाने और उनका संचालन करने का कार्य करता है। यह बैंक कृषि तथा ग्रामीण विकास के ऋण सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक मात्र समन्वित संगठन है। छठवीं योजना में शामिल किए गये ग्रामीण कार्यक्रमों तथा नीतियों को लागू करने में सहायक बैंक द्वारा की गई है।

नाबार्ड द्वारा रिजर्व बैंक के राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्त के कार्य किये जाते हैं। जिस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को विभिन्न वित्तीय सहायता बैंक दर से कम दर पर प्रदान की जाती थी। रिजर्व बैंक के इस कार्य की नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के युक्त कार्य को नावार्ड द्वारा किया जाता है। नावार्ड विभिन्न योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की सुविधाओं के लिए अलग–अलग ब्याज की दर प्राप्त करता है। मौसमी कृषि कार्यो के अल्पकालीन ऋणों के लिए बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर पुनर्वित्त की सुविधाएँ देता है। मध्यकालीन ऋण के अनुमोदित प्रयोजनों के लिए बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर और दीर्घकालीन ऋणों में लघु सिंचाई और भूमि विकास, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम और लघु कृषकों का 6.5 प्रतिशत दर पर पुनर्वित्त की सुविधाएँ प्रदान करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

भारत में 1947 के बाद गाँवों की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया गया, इस बात का अनुभव किया गया कि ग्रामीण प्रगति के बिना राष्ट्रीय प्रगति सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों को ग्रामीण पृष्ठभूमि में केन्द्रित किया, उन्हों प्रयासों के फलस्वरूप भारत में ग्रामीण विकास की रूप रेखायें निर्मित हुई और उनके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। योजना आयोग के अनेक प्रकाशन ग्रामीण जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ये बैंक ग्रामीण जीवन के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं एवं स्थानीय लोगों की भावनाओं तथा ग्रामीण समस्याओं के परिचय के साथ–साथ व्यवसाय संगठन के गुण–जमा की गतिशीलता के लिए ग्रामीण अंचल में प्रोत्साहन की भावना जागृत करने आदि का कार्य करते हैं, जो व्यापारिक बैंक करते है।[4–7] इनका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में न केवल कृषि वरन् उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का समुचित विकास करना है।

सीधी जिले में कृषकों को समस्त वित्तीय संस्थाओं को प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग का मूल्यांकन

सीधी जिले में कृषकों को समस्त वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्त सहायता के उपयोग का एक मूल्यांकन किया गया है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है–

सारणी क्रमांक 1: सीधी जिले में बैंकों की स्थिति

क्र.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	कुल संचित राशि	कुल अग्रिम राशि	प्राथमिक क्षेत्र (अग्रिम)
1.	व्यापारिक बैंक	48	3819752	486075	315901
	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	21	1416576	200059	156172
	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	11	1775326	150759	86118
	इलाहाबाद बैंक	11	554740	115820	58219
	पंजाब नेशनल बैंक	04	34722	7358	6270
	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	01	38338	12079	9122
2.	क्षेत्रीय बैंक	33	802102	241435	216626
3.	सहकारी बैंक	18	306345	335179	169562
	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	12	306345	287164	121547
	भूमि विकास बैंक	6		48015	48015
	कुल योग	99	4928199	1062689	702089

स्त्रोत – क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित

निष्कर्ष

व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए दी गई अप्रत्यक्ष सहायता कुल कृषि ऋण का 17 प्रतिशत था। व्यापारिक बैंकों द्वारा निरन्तर कृषि क्षेत्र के लिए अधिकाधिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। नाबार्ड का कार्य क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत रखा गया है, जिससे एक शीर्ष संस्था के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित उत्तरदायित्व को वह भली भांति पूरा कर सके।

जिले में स्थित बैंकों में व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा क्षेत्रीय एवं सहकारी बैंकों के पास संचित एवं अग्रिम राशि अधिक है। इससे स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा क्षेत्रीय एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिक राशि प्रदान की जा रही है।

देश के सम्पूर्ण जनमानस को रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनमें बचत प्रवृत्ति को विकसित कर पूंजी निर्माण की दिशा में प्रयास करना, अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत तथ्य माने गये हैं।

सन्दर्भ

1. अग्रणी विकास बैंक योजना– सीधी (म.प्र.)
2. दुबे बेचन और सिंह, मंगला – एकीकृत ग्रामीण विकास संकल्पना एवं प्रारूप.
3. कृषि कार्यक्रम प्रगति समीक्षा पुस्तिका – कृषि विभाग, जिला सीधी 1993– 94.
4. कुमार, बी. प्लानिंग पावर्टी एण्ड इकोनामिक डेवलपमेंट, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन 1984.
5. मिश्र, आर.पी. एण्ड सुन्दरम् – रूरल एरिया डेव्लपमंट प्रेस एण्ड एप्रोचेज, 1979.
6. सिन्हा, वी.सी. – मुद्रा एवं बैकिंग.
7. सिन्हा, वी.सी. एवं सिन्हा, पुष्पा – आर्थिक विकास एवं नियोजन.
8. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका – जिला सांख्यिकीय कार्यालय सीधी.
9. जोशी, पूरनचन्द्र – भारतीय ग्रामों का संस्थानिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास, राजकमल प्रकाशन, 1996.
10. जैन, पी.सी. – भारतीय कृषि की समस्याएँ.
11. अग्निहोत्री, रामप्यारे – सीधी जिले का परिचय.
12. ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम – ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय दिसम्बर 1985.
13. बायनी, एफ.एल. – बिजनेस अपलिकेशन इन इण्डिया, इलाहाबाद पायनियर प्रेस.